

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)
 भिवा देवी

बनाम मंरी सिंह कोरह

कदमा संख्या / वर्ष 135/2020 : दोवा / 20

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31-3-2021	<p>वकीलवादी उप. / प. 0. सातक अवकाश पर है। गत आदेश की पालना में दिनांक 7.4.2021 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> प्रस्तुतकार उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	
	29-6-21	<p>पत्रावली आज कोरेका वापस के कारण वा. एसोसियेशन द्वारा स्थापित कार्य स्थगित होने के कारण आज पेशी में ली गयी वकीलवादी उपस्थित। बहस दबाव हुनी गयी बहस पर अग्रन किया गया। निर्णय प्रत्यक्ष से लिया जा जाकर थामि किया गया। दावा डिडि किया जा रहा है। पत्रावली जैसे-थुम्मा ठेका दायित्व दफ्तर से नामूर से कर लेवे।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	
	6-12-21	<p>आज यह पत्रावली वकील वापिस गए प्रापक 015 152 470 पेश कोर्ट पर रिकार्ड तहसी की गयी प्रापक पत्र पर वकील प्रापी/वादी को बुना गया। पत्रावली का अफलोकेन किया गया प्रतिकारी</p>	

सेटबा 1 लगायत 3 की
निर्णय व डिप्टी के सहित
के राईफिंग के लिफिकीय
त्रुलिवथ जाति राजपूत के
स्वान पर जाट अंकित हो गयी
है जबकि पत्रावली के प्रतिकादी
गण सं. 1 लगायत 3 की जाति
राजपूत लिखी हुई है। उक्त
अशुद्धि को लिफिकीय त्रुलिवथ
होने से दुसरा किया जाना
न्यायोचित है।

अतः निर्णय व डिप्टी के सहित
आग के प्रतिकादी गण संख्या
1 लगायत 3 की जाति जाट
के स्वान पर राजपूत अंकित
काने के आदेश दिष्टे जाते हैं।
संशोधन का गेट निर्णय व
डिप्टी के लगायत जोवे बाद संशोधन
गट पत्रावली पुनः दाखिल दफ्त
है शर्तना पत्र लिखित किया जाकर
थाक कि किया जाय है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)